

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म.प्र.)

--:: निविदा आमंत्रण सूचना ::--

सर्व साधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय परिसर देवास में साईकिल स्टैण्ड का संचालन किया जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति जिला न्यायालय भवन परिसर, देवास में साईकिल स्टैण्ड का संचालन करना चाहता है, वे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास के कार्यालय में कार्य-दिवस के दौरान निविदा के संबंध में आवश्यक शर्तों की जानकारी प्राप्त कर शर्तों के अनुसार सीलबंद निविदा अंतिम तिथि **दिनांक 29.09.2023 को दोपहर 03:00 बजे** तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकत हैं। नियत समयावधि उपरांत प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

निविदा दिनांक 29.09.2023 को निविदाकर्ता/उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष सायं 05:00 से 06:00 बजे खोली जावेगी। नीलामी की प्रक्रिया दिनांक 30.09.2023 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक की जाएगी।

इस हेतु विस्तृत विवरण कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही विस्तृत निविदा दस्तावेज को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट [www.mpnc.gov.in/tenders](http://www.mpnc.gov.in/tenders) एवं [districts.ecourts.gov.in/india/mp/dewas/tender](http://districts.ecourts.gov.in/india/mp/dewas/tender) पर देखा जा सकता है।

आज्ञा से /-  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
देवास (म.प्र.)

## कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म0प्र0)

विषय :- जिला न्यायालय भवन देवास की बिल्डिंग में स्थित साईकिल स्टैंड हेतु निविदा फार्म।

जिला न्यायालय भवन देवास की बिल्डिंग में स्थित साईकिल स्टैंड संचालन हेतु प्रतिष्ठित, पजीकृत, प्रामाणिक, अनुभवी और पात्र फर्म या व्यक्ति, जिन्होंने समान कार्य किया है या सरकार में साईकिल स्टैंड चला रहे हैं, से सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। अर्ध-सरकारी संगठन या सार्वजनिक/निजी संस्थान/संगठन और इस निविदा दस्तावेज में अन्य सभी नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले निविदाकर्ता/अधोहस्ताक्षरकर्ता जिला न्यायालय देवास में नियत समयावधि में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

निर्धारित निविदा प्रारूप/फॉर्म, जिसमें नियम और शर्तें उच्च न्यायालय की वेबसाईट [www.mpjc.gov.in](http://www.mpjc.gov.in) पर उपलब्ध है। आवेदक/निविदाकर्ता उक्त वेबसाईट से निविदा प्रपत्र/आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट, कार्य अनुभव की प्रति और पैन नंबर "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास" के पक्ष में निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है :-


वार्षिक लाईसेंस शुल्क (न्यूनतम)	रुपये 3,00,000/-
अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट की लागत	रुपये 5,000/-
परफार्मेंन्स गारण्टी/सुरक्षा निधि	रुपये 40,000/-
निविदा प्रपत्र का मूल्य	रुपये 1,000/-

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय      दिनांक 29.09.2023 को दोपहर 03:00 बजे

निविदा खुलने का समय      दिनांक 29.09.2023 को सायं 05:00 बजे  
से शाम 06:00 बजे तक

नीलामी का समय      दिनांक 30.09.2023 से प्रातः 11:00 बजे से  
दोपहर 01:00 बजे

नोट : अर्नेस्ट मनी एवं निविदा प्रपत्र के मूल्य का भुगतान "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास" के पक्ष में आहरित पृथक-पृथक बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा। निविदा नियम और शर्त पर हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इनके बिना निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

  
(प्रभाकर कुमर मिश्रा)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
देवास (म.प्र.)

**कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म0प्र0)**

**वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु निविदा फॉर्म**

निविदाकार का नाम .....

पता .....

मोबाईल नंबर .....

आधार कार्ड नंबर .....

पेन कॉर्ड नंबर .....

उक्त कार्य का अनुभव यदि हो तो .....

संस्था का रजिस्ट्रेशन यदि हो तो .....

जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र यदि हो तो .....

**नियम और शर्तें**

01. अनुबंध की अवधि अनुबंध निष्पादित होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। अनुबंध अवधि में साईकिल स्टैण्ड संचालन का कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास के अनुमोदन उपरांत अनुबंध अवधि 01-01 वर्ष अधिकतम 02 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी।

02. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ निविदा फार्म का मूल्य रुपये 1000/- OTC चालान द्वारा शासकीय मद 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें, 800 में जमा कर मूल रसीद प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा को विचार में नहीं लिया जाएगा। आवेदन-पत्र की राशि रुपये 1,000/- किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

---

03. निविदाकर्ता को निविदा दो सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें एक लिफाफे पर 5000/- रुपये के "अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट" के डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 1000/- OTC चालान का उल्लेख कर रखा जाएगा एवं दूसरे लिफाफे में "निविदा प्रपत्र" का उल्लेख करना होगा, जिसमें निविदा प्रपत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेज रखे जाएंगे। निविदा प्रपत्र, नियम और शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करना होगा।

04. मात्र उन्हीं निविदाकर्ताओं की निविदा मान्य की जाकर नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाएगा, जो अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट देवास में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास" के पक्ष में जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करेंगे।

05. सफल निविदाकर्ता का अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि अनुबंध समाप्ति के पश्चात् वापस कर दी जावेगी। शेष निविदाकर्ता जिनकी निविदा असफल होगी, उनकी राशि निविदा की चयन प्रक्रिया के पश्चात् मूलतः निविदाकर्ता को वापस की जावेगी।

06. नीलामी प्रक्रिया अनुसार निविदा उन बोलीदाताओं के बीच स्वीकार की जाएगी, जो इस निविदा के तहत वार्षिक लाईसेंस शुल्क के लिये उच्चतम राशि की बोली लगाएंगे।

07. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उस सफल निविदाकर्ता को बोली लगाने के 07 दिवस के भीतर या उसके पूर्व बोली की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से ठीक 06 माह पूर्ण होने के 15 दिवस के भीतर करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

08. निविदाकर्ता को साइकिल स्टैण्ड संचालन के लिये किसी अन्य व्यक्ति को उप-किराये पर देने, सौंपने या अधिकृत करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा करने पर परफार्मेंस गारण्टी जप्त कर अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।

09. निविदाकर्ता साईकिल स्टैण्ड के रख-रखाव के लिये जिम्मेदार होगा। हर समय पूर्ण स्वच्छ और स्वच्छ स्थिति और सक्षम प्राधिकारी या/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास द्वारा लगाए गए किसी भी/ सभी दण्ड के लिये जिम्मेदार होगा।

10. साईकिल स्टैण्ड का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक किया जावेगा। साथ ही समय-समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ही किया जाएगा।

11. साईकिल/स्कूटर/दो पहिया/चार पहिया वाहन का पार्किंग शुल्क निम्नानुसार होगा :-

1. साईकिल - रुपये 2 प्रतिदिन (प्रातः 10 से सायं 6:00)
2. दो पहिया वाहन - रुपये 5 प्रतिदिन (प्रातः 10 से सायं 6:00)
3. चार पहिया वाहन - रुपये 10 प्रतिदिन (प्रातः 10 से सायं 6:00)

12. निविदाकर्ता द्वारा स्टैण्ड शुल्क सूची (समिति के सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त) आम जनता को पढ़ने हेतु लगाई जावेगी एवं निर्धारित दर पर ही आम जनता से वाहन पार्किंग शुल्क लिया जावे, अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। आमजन को वाहन पार्किंग किये जाने के संबंध में प्रिण्टेड रसीद प्रदान करना होगी जिस पर वाहन का शुल्क एवं वाहन क्रमांक अंकित करना आवश्यक होगा।

13. निविदाकर्ता द्वारा आवेदन के साथ कार्य के अनुभव के संबंध में सरकारी/अर्द्ध-सरकारी संगठन या सार्वजनिक/निजी संस्थान/संगठन अस्पतालों आदि में साईकिल स्टैण्ड चलाने का **कम से कम दो साल** का अनुभव होना चाहिए। अनुभव के संबंध में संबंधित प्रमाण निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। **(दस्तावेज संलग्न करें)**

14. निविदाकर्ता को साईकिल स्टैण्ड के संचालन का पंजीयन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नियमानुसार करना आवश्यक होगा।

15. निविदाकर्ता नगर निगम और साईकिल स्टैण्ड चलाने के लिये आवश्यक अन्य सक्षम अधिकारियों से प्रमाण-पत्र/लाईसेंस प्राप्त कर निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। **(दस्तावेज संलग्न करें)**

16. निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकर्ता को अपने स्थापना के पंजीयन का प्रमाण-पत्र, पेन कार्ड, जी.एस.टी. पंजीयन का प्रमाण-पत्र आदि संलग्न करना अनिवार्य होगा **(दस्तावेज संलग्न करें)**

17. साईकिल स्टैण्ड संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का निर्माण/संरचना नहीं करेंगे। साईकिल स्टैण्ड संचालन के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे, जिससे कि शासकीय सम्पत्ति व न्यायालय की गरिमा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित हो अथवा निविदा की शर्त का उल्लंघन हो। यदि निविदाकर्ता या उसके कर्मचारियों से परिसर में किसी प्रकार की क्षति/हानि होने की स्थिति में उक्त नुकसान की भरपाई निविदाकर्ता को करना होगी।

18. निविदाकर्ता उक्त परिसर में कोई परिवर्धन या परिवर्तन या संरचनात्मक मरम्मत नहीं करेगा। केवल साईकिल स्टैण्ड संचालन में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुये अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय सम्पत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो।

19. साईकिल स्टैण्ड हेतु आवंटित स्थान को सफल निविदाकर्ता स्वयं संचालित करेगा, किसी अन्य को आवंटित नहीं करेगा। वाहन हेतु आवंटित स्थान पर वाहन को सुव्यवस्थित रूप से रखवाएगा, ताकि पक्षकारों एवं वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान न हो। आवंटित स्थान को साफ-सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या ऑडियो सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे।

20. निविदाकर्ता के सभी नियुक्त कर्मचारी स्वच्छ एवं उचित वर्दी पहनेंगे तथा आई. डी. कार्ड निविदाकर्ता द्वारा प्रदान किया जाएगा।

21. साईकिल स्टैण्ड संचालन में कामगारों के आचरण/चरित्र/पूर्ववृत्त और उचित आचरण एवं व्यवहार की पूरी जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारी नियोजित करना होगा। नियोजित कर्मचारी किसी प्रकार का नशा न करते हो, यह निविदाकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। निविदाकर्ता को अपने सभी कर्मचारियों (स्थायी, अस्थायी, आकस्मिक) का आवश्यक विवरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को प्रदान करना होगा।

22. वाहन के चोरी चले जाने या नष्ट कर दिये जाने की दशा में ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

23. निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत निविदा अवधि के दौरान बीच में ही कार्य बंद करने या छोड़ने की दशा में संपूर्ण सुरक्षा निधि की राशि जप्त कर ली जाएगी।

24. लाईसेंस की उक्त अवधि या अवधि की समाप्ति या उसके पूर्व समाप्ति पर, निविदाकर्ता लाईसेंस प्राप्त साईकिल स्टैण्ड के खाली कब्जे को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को उसकी स्थिति में शांतिपूर्वक सौंप देगा। निविदाकर्ता की अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात् परिसर में उसके कब्जे को एक अतिचार के रूप में माना जाएगा और वह आगे नुकसान का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

25. निविदाकर्ता एक शिकायत पुस्तिका रखेंगे, जो उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो कोई भी शिकायत दर्ज करने की इच्छा रखता है, उपलब्ध करायी जायेगी और जिसे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किये जाने पर निविदाकर्ता को पेश करना होगी।

26. साईकिल स्टैण्ड संचालन की अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के बाद भी नई अनुज्ञा प्रदान किये जाने की कार्यवाही तक अधिकतम 03 माह तक उसी प्रीमियम राशि पर वर्तमान साईकिल स्टैण्ड संचालक को वाहन स्टैण्ड का संचालन करना होगा।

27. निविदाकर्ता का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा बिना किसी सूचना के निविदा/अनुबंध समाप्त किये जाने का अधिकार होगा।

28. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को यह अधिकार होगा कि स्टैण्ड संचालन हेतु दिया गया लाईसेंस किसी भी समय बिना कारण बताये, बिना पूर्व सूचना के निरस्त कर दे और उस दशा में ऐसे आवंटितों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट अवधि में साईकिल स्टैण्ड का संचालन अविलम्ब बंद करना होगा अन्यथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि साईकिल स्टैण्ड संचालन बंद कराकर आवंटित स्थान रिक्त करा ले। इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का निर्णय अंतिम और आबद्धकारी होगा।

29. न्यायालयीन कर्मचारियों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा परिचय-पत्र प्रदान किया गया है तथा उनके द्वारा परिचय-पत्र दिखाये जाने पर उनसे साईकिल शुल्क नहीं लिया जावेगा। अधिवक्तागण को अभिभाषक संघ, देवास द्वारा परिचय-पत्र प्रदान किया जावेगा। अधिवक्तागण द्वारा परिचय-पत्र दिखाये जाने पर उनसे साईकिल शुल्क नहीं लिया जावेगा।

30. कर्मचारीगण उनके वाहन कर्मचारियों हेतु निर्मित साईकिल स्टैण्ड में रखेंगे। अधिवक्तागण अपने वाहन अधिवक्ताओं हेतु आरक्षित स्थल पर रखेंगे।

31. निविदाकर्ता न्यायालय परिसर में निर्धारित स्थान पर ही साईकिल स्टैण्ड का संचालन करेगा। मात्र न्यायालयीन कर्मचारियों के लिये पार्किंग स्टैण्ड का संचालन केवल न्यायालयीन कर्मचारियों हेतु बनाये गये चिन्हित पार्किंग शेड में ही किया जावेगा।

32. निविदाकर्ता द्वारा साईकिल स्टैण्ड में आने व जाने वाले वाहनों का रिकार्ड रखने हेतु पृथक से रजिस्टर संधारित किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत न्यायिक अधिकारी/प्रमुख उक्त रजिस्टर का निरीक्षण किये जाने पर निविदाकर्ता द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

33. नगर निगम देवास अथवा अन्य कर जो साईकिल स्टैण्ड संचालन हेतु दिया जाना है, का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा किया जावेगा।

34. निविदाकर्ता पक्षकारों से किसी तरह का वाद-विवाद नहीं करेगा। निविदाकर्ता अथवा उसके नियोजित कर्मचारियों द्वारा परिसर में आने वाले न्यायाधीश, कर्मचारी, अभिभाषक, शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों, पक्षकारों ग्राहक से किसी भी भाँति दुर्व्यवहार व हिंसा करते पाए जाने पर एवं साथ ही महिलाओं, विकलांगों व बुजुर्गों के प्रति अनादर व असहयोग करते पाए जाने पर अर्नेस्ट मनी एवं परफार्मेस गारण्टी की राशि जप्त कर ली जावेगी।

35. सफल निविदाकर्ता को परफार्मेन्स गारण्टी के रूप में रुपये 40,000/- का राष्ट्रीयकृत बैंक में देय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास के पक्ष में जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट पर प्रस्तुत करना होगा। परफार्मेस गारण्टी के रूप में जमा राशि सफल निविदाकर्ता को अनुबंध अनुसार कार्य संतोषजनक होने पर अनुबंध समाप्ति के 60 दिवस उपरांत बिना ब्याज के लौटाई जावेगी। सफल निविदाकर्ता अथवा उसके



कर्मचारी द्वारा जिला न्यायालय परिसर में किसी प्रकार का नुकसान किये जाने की स्थिति में नुकसान का व्यय परफार्मेंन्स गारण्टी के रूप में जमा राशि से किया जाएगा।

36. सफल निविदाकर्ता को अनुबंध निष्पादन करना होगा। अनुबंध निष्पादन का समस्त व्यय सफल निविदाकर्ता द्वारा ही वहन किया जाएगा।

37. सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा स्वीकृति आदेश जारी होने के 07 दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादित न करने की दशा में अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जाएगी तथा नई निविदा प्रक्रिया का खर्च व क्षति राशि वसूल की जाएगी।

### कार्य का आवंटन – खुली नीलामी

**अ.** जिला एवं सत्र न्यायालय देवास के साईकिल स्टैण्ड का संचालन हेतु निविदाकर्ता के चयन का आधार वार्षिक लाईसेंस फीस के लिये खुली नीलामी में अधिकतम बोली लगाने वाला निविदाकर्ता होगा।

**ब.** नीलामी दिनांक 30.09.2023 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक की जाएगी। उन्हीं निविदाकर्ताओं को नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी जो अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करेंगे और जो निविदा की न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते होंगे।

**स.** निविदाकर्ता के प्रतिनिधि को नीलामी में भाग लेने के लिये अपने अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकार-पत्र जारी करना होगा। अधिकार-पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।


**द.** साईकिल स्टैण्ड संचालन की अनुज्ञा एक वर्ष के लिये दी जाएगी और प्राप्त निविदाओं में से निविदाकर्ता की साख, कार्यानुभव व आचरण पर विचार करते हुए निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जाएगी, इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होना, जिसकी सूचना प्रधान जिला न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चरमा की जावेगी। समिति का निर्णय निविदाकर्ता को सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।

### विवाद का निपटारा :-

कोई विवाद होने पर ऐसा प्रश्न/विवाद सर्वप्रथम प्रशासनिक अधिकारी के संज्ञान में लाया जावेगा, जो आवश्यकता प्रतीत होने पर निराकरण हेतु जिला रजिस्ट्रार/प्रभारी अधिकारी, नज़ारत अनुभाग अथवा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संदर्भित करेंगे।

### मध्यस्थता खण्ड :-

सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अनुसार साईकिल स्टैण्ड संचालन का कार्य, सामग्री की गुणवत्ता अथवा किसी प्रकार को कोई प्रश्न, दावा, अधिकार, बात या बात के रूप में किसी भी तरह से अनुबंध अनुमान, निर्देश, आदेश या इन शर्तों से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी तरह से या अन्यथा कार्य या निष्पादन या इसे निष्पादित करने में विफलता से संबंधित है चाहे वह कार्य की प्रगति के दौरान या पूरा होने या उसके परित्याग के बाद उत्पन्न हो, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को संदर्भित किया जा सकेगा।



(प्रभात कुमार मिश्रा)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
२ देवास (म.प्र.)